भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2114
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

तेजाबी हमलों से पीड़ितों को कानूनी सहायता

2114. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्री विजय कुमार दुबे :
श्री धनुष एमो कुमार :
श्री सोयम बापू राव :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्री जी. सेल्वम :
श्री रेबती त्रिपुरा :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस :
श्री सुनील दतात्रेय तटकरे :
श्री गौतम सिगामणि पोन :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने तेजाबी हमलों के शिकार लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कानूनी सहायता प्रदान करने वाले तेजाबी हमले से पीड़ितों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के बारे में तेजाबी हमलों के पीड़ितों में जागरूकता पैदा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने अदालतों में प्राथमिकता के आधार पर उनके मामलों को लेने के लिए तेजाबी हमले से पीड़ितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित तेजाबी हमले के मामलों की संख्या कितनी है ; और

(च) तेजाबी हमलों से पीड़ितों के मामलों के समयबद्ध तरीके से त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : अम्ल हमले के पीड़ितों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन नालसा (अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) स्कीम, 2016 बनाई है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अम्ल हमले के पीड़ितों को विद्यमान विधिक उपबंधों और प्रतिकर के लिए स्कीमों के अधीन फायदे उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता और प्रतिनिधित्व सुदृढ करना ;

(ii) अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए चिकित्सीय प्रसुविधाओं और पुनर्वास सेवाओं की प्राप्ति तक पहुंच को सुकर बनाना;

(iii) अम्ल हमले के पीड़ितों में हकदारियों के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक समितियों, पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों और विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना और फैलाना;

(iv) पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों, विधिक सेवा क्लिनिकों में स्वयंसेवियों, सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कार्मिक, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण, आरियंटेशन और संवेदनशील बनाने के कार्यक्रमों द्वारा सभी स्तरों पर क्षमता सुदृढ करना; और

(v)विभिन्न स्कीमों, विधियों आदि का अध्ययन करने के लिए शोध और दस्तावेजीकरण द्वारा अंतराल ज्ञात करना और समुचित प्राधिकारियों को उपचारात्मक सुझाव देना ;

उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान उन अम्ल हमले के पीड़ितों की संख्या जिन्हें इस स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त हुआ, निम्न प्रकार है:-

स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने वाले अम्ल हमले के पीड़ितों की संख्या		
वर्ष 2016-17	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**
201	249	232

विधिक सेवा संस्थान अम्ल हमले के पीड़ितों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे समाज पीड़ितों को ऐसा समर्थन उपलब्ध कराए जो उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक हो। पैंफलेट पत्रक आदि वितरण करने के अलावा दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने तारीख 20.04.2015 को महिलाओं पर अम्ल हमले के मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए एक परामर्शी जारी की है जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अम्ल हमले के मामलों की त्वरित जांच, विचारण लिए पूर्व-पहल पर उपाय करने और उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटान करने का अनुरोध किया था।

****